

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक / एफ / अका० / पाठ्यक्रम / 2022 / 911

दिनांक : 23.08.2022

## अधिसूचना

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा भूगोल अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

### अधिनियम की धारा

### नाम निर्देशित सदस्य का नाम

28(2)एक

1. रिक्त

28(2)दो

1. प्रो० बी०एल० कुशवाह (प्राध्यापक)  
एस०वी०आर०एस० महा० भिण्ड अड़ोखर।
2. डॉ० जगत सिंह (प्राध्यापक)  
शा० एम०एल०बी० उत्कृष्ट महा० ग्वा०।

28(2)तीन

1. रिक्त

28(2)चार

1. डॉ० विजेन्द्र सिंह (प्राध्यापक)  
शा० वी०आर०जी० कन्या महा० मुरार ग्वा०।
2. डॉ० आनन्द कर सिंह (सह प्राध्यापक)  
शा० एस०एल०पी० महा० मुरार ग्वा०।

28(2)पाँच

1. डॉ० शैलेन्द्र सिंह तोमर (प्राध्यापक)  
शा० के०आर०जी० स्वशासी महा० ग्वा०।
2. डॉ० श्रीमती निर्मला खलखों (सहा प्रा०)  
शा० एम०जे०एस० स्नातकोत्तर महा०  
भिण्ड।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपतिजी द्वारा प्रो० बी०एल० कुशवाह (प्राध्यापक) को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2022 से तीन वर्ष तक रहेगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. भूगोल अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव(गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जी०वि०वि०, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, / शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

  
उप-कुलसचिव(अकादमी)